सुरेश बनाम राजस्थान सरकार
42/2023
निर्णय दिनांक :20.06.2023

न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा
जिला चित्तौड़गढ़
(पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाडियाँआर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्याः–42 /2023
GCMS N. -2023/73

सुरेश कुमार पिता सोहनलाल जैन जाति महाजन आयु वयस्क, निवासी निम्बाहेडा हाल मुकाम चित्तौडगढ तहसील व जिला चित्तौडगढ़ (राज)।

................प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0

.... अप्रार्थी

प्रार्थी अधिवक्ताः – स्वयं
अप्रार्थी अधिवक्ता– पेरोकार सरकार तहसीलदार निम्बाहेड़ा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

निर्णय तिथिः–20.06.2023

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वाके मौजा धीनवा पटवार हल्का जावदा तहसील निम्बाहेडा की साबिक सेटलमेंट में आराजी नम्बर 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि खाता संख्या 1 उपरोक्त वर्णित राजकीय भूमि में दर्ज थी. उक्त भूमि में से 5 बीघा भूमि नामान्तरण संख्या 466 दिनांक 10.01.1991 से आबादी हेतू दर्ज की गई, जिसके नम्बर 8/523 पड़े व नामान्तरण संख्या 634 दिनांक 29.12.2001 को 5 बीघा भूमि और आबादी दर्ज की गई. जिसके आराजी नम्बर 530/8 पडे, उक्त आबादी भूमि में से तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत जावदा ने पंचायत अधिनियम के तहत उपरोक्त भूमि आवासीय प्रयोजनार्थ नीलाम की गई थी, सोहनलाल जी जैन द्वारा निलामी प्रक्रिया से प्रार्थी व अन्य परिजन को 2500/– वर्ग गज के 6 भूखण्ड उक्त आबादी भूमि में खुली निलामी में निलाम कर उसका पट्टा प्रार्थी के नाम व परिजनों के नाम जारी कर दिनांक 18.06.1991 को उक्त पट्टे का पंजीयन विपक्षी के कार्यालय में करवा दिया, तभी से प्रार्थी उक्त भूखण्ड पर काबिज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि अभी हाल ही में कुछ अरसे पूर्व तहसील [illegible] में नवीन भू प्रबंध लागु हुआ है, जिसमें उक्त आबादी भूमि के साबिक [illegible] आराजी नम्बर 38 व साबिक सेटलमेंट आराजी नम्बर 530/8 के नवीन [illegible] नम्बर 34 पडा जो वर्तमान में गै०मू० आबादी में दर्ज है, परन्तु नवीन [illegible] गलत तरीके [illegible] आराजी नम्बर 38 व 39 को पैमूद कर दिया है, आराजी [illegible] व 647/40 को भी ग[illegible]के से नवीन राजस्व नक्शे में पैमूद कर दिया है व प्रार्थी का भूखण्ड जो आबादी भूमि में पंचायत द्वारा निलामी की प्रक्रिया के माध्यम से प्रार्थी व उसके परिजनों को दिया था को गलत तरीके से नजरी नक्शे में जहां पूर्व में आराजी नम्बर 8/523 को जहां आराजी नम्बर 530/8 दर्ज थी वहां दर्ज नहीं कर दुसरी आराजी नम्बर 40 को गलत पैमूद कर दिया तथा आराजी नम्बर 38 को आराजी नम्बर 39 के प्रथम में गलत से पैमूद कर दिया, जबकि आराजी नम्बर 39 की

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

जगह आराजी नम्बर 38 व आराजी नम्बर 40 तथा 647/40 की जगह आराजी नम्बर 39 पैमूद होना चाहिये थी तथा आराजी नम्बर 38 की जगह आराजी नम्बर 40 व उत्तर की तरफ आराजी नम्बर 37 में आराजी नम्बर 647/40 दर्ज होनी चाहिये थी. परन्तु विपक्षी व उसके अधिनस्थ कार्मिकों ने घौर लापरवाही कर भू प्रबंध अधिकारियों की भारी चुक से नवीन राजस्व नक्शे में भारी विसंगतियां उत्पन्न हो गई है जिसके कारण प्रार्थी को उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना पडा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त त्रुटि को सही किया जावे।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। प्रकरण में विपक्षी जरिए तामिल सूचना पत्र तलब किया गया। तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो संलग्न पत्रावली की गई ।तहसीलदार निम्बाहेडा ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि गत भू प्रबंध जमाबन्दी सवत् 2046 से 2050 में आराजी नं. 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा किस्म उसर बिलानाम भूमि दर्ज थी। इसमें से नामान्तरण संख्या 466 स्वीकृत दिनांक 18.12.1991 से साबिक आराजी नं0 8/523 रकबा 5 बीघा आबादी भूमि में दर्ज हुई जिसका नामान्तरण पर तरमीम नक्शा सलंग्न और शेष भूमि 8 मीन रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा में से नामान्तरण संख्या 634 दिनांक 29.12.2001 से साविक आराजी नं0 530/8 रकबा 5 बीघा बिलानाम आबादी से दर्ज हुई है जिसके नामान्तरण पर तरमीम नक्शा नहीं है और शेष भूमि आराजी नं0 8 मीन रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा बची हुई है जो नामान्तरण संख्या 814 दिनांक 02.01.2009 से राजकीय बिलानाम भूमि सेट अपार्ट चारागाह में दर्ज होने के आदेशानुसार 8 मीन रकबा 21–16 बीघा में से साबिक आराजी नं0 555/8 रकबा 18 बीघा चारागाह में दर्ज हुई और शेष 8 मीन रकबा 3–16 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज हुई। इस नामान्तरण पर तरमीम नक्शा संलग्न है। इस तरमीम नक्शे में आराजी नं0 555/8 रकबा 18 बीघा चारागाह भूमि एकचक होकर उत्तरी भाग में दर्शायी गई है शेष विलानाम भूमि 3–16 बीघा दक्षिण दिशा में सडक से लगती हुई दर्शायी गई है। इस साविक तरमीम अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। तहसील अभिलेखागार में उपलब्ध गत भू प्रबंध के राजस्व नक्शे में किसी प्रकार की दर्ज तरमीम पुख्ता नहीं की गई है अतः उपलब्ध साबिक रिपोर्ट नामान्तरण संख्या 814 दिनांक 02.01.2009 पर संलग्न नक्शे को पुख्ता आधार मानकर वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी नं० 38 रकबा 1.26 हैक्टेयर गे.मु. आबादी का उत्तरी भाग प्रभावित होकर चारागाह हिस्से में आता है। लेकिन वर्तमान में मौके पर बसी हुई आबादी जो कि आराजी नं0 38 के उत्तरी भाग में आती है इसको वर्तमान संशोधित प्रस्तावित नक्शे में केवल उत्तरी पश्चिमी भाग की चारागाह में प्रस्तावित किया जाना है और इसी प्रकार आराजी नं0 38 के दक्षिणी पश्चिमी भाग राजकीय बिलानाम भूमि में प्रस्तावित किया जाता है और आराजी न. 647/40 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि चारागाह के रूप में दक्षिण दिशा में सडक के पास स्थित है इसको वर्तमान संशोधित प्रस्तावित में इसी जगह पर रखा जाना है और राजकीय बिलानाम भूमि आराजी नं० 40 रकबा 0.96 हैक्टेयर का वर्तमान राजस्व नक्शे का पश्चिमी भाग संशोधित प्रस्तावित नक्शे में गै.मु. आबादी दर्ज किया जाना है। अतः नामान्तरण संख्या 814 के साथ सलंग्न तरमीम नक्शा व साबिक राजस्व नक्शा में कोई तरमीम पुख्ता नहीं होने की दशा में केवल नामान्तरण संख्या 814 के संलग्न तरमीम नक्शा अनुसार व वर्तमान में आराजी नं0 38 के उत्तरी भाग में मौके पर बसी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए आराजी नं0 40 राजकीय बिलानाम का पश्चिमी भाग को गै मु. आबादी का हिस्से मानते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में संशोधित प्रस्तावित तरमीम के उत्तरी भाग में [illegible] सम्मिलित किया जाने से शेष चारागाह भूमि आराजी नं0 37 व 38 का उत्तरी [illegible] गै.मु. आबादी ही रखी गई और भूमि आराजी नं0 38 की मौके पर बसी हुई आबा[illegible] होने [illegible] राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज आराजी नं 38 का दक्षिणी पश्चिमी भाग सडक से [illegible] हुई [illegible] के भाग में रखी जाने किए जाने एवं आराजी नं. 647/[illegible] संशोधित प्रस्तावित नक्शे अनुसार व आराजी नं0 40 रकबा 0.96 [illegible] के पर बसी हुई आबादी व प्रार्थी श्री [illegible]श्चिमी भाग गै.मु. आबादी में सम्मिलित किए जाने [illegible] सुरेश कुमार जैन वगेरा की निलामी शुदा आवासीय भूखण्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं जो कि [illegible].06.1991 को ग्राम पंचायत जावदा की खुली निलामी में बोली से खरीदकर पंजीकृत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर साबिक आराजी भूमि 8/523 रकबा 5 बीघा एवं आराजी न. 530/8 रकबा 5 बीघा की तरमीम नवीन नक्शे में शुद्ध किए जाने की अनुशंषा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

की जिसकी प्रस्तावित राजस्व रिकार्ड शुद्धि व प्रस्तावित नक्शा पटवार हल्का जावदा व भू अभिलेख निरीक्षक जावदा की रिपोर्ट में अंकित एवं सलग्न है।

4. हमने प्रार्थी एवं तहसीलदार निम्बाहेडा .की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार निम्बाहेडा की जांच रिपोर्ट का गहनता से ध्यानपूर्वक अध्ययन/मनन किया गया। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार गत भू प्रबंध जमाबन्दी सवत् 2046 से 2050 में आराजी नं. 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा किस्म उसर बिलानाम भूमि दर्ज थी उक्त भूमि में से कुछ भूमि इसमें से नामान्तरण संख्या 466 स्वीकृत दिनांक 18.12.1991 से साबिक आराजी नं0 8/523 रकबा 5 बीघा आबादी भूमि में दर्ज हुई जिसका नामान्तरण पर तरमीम नक्शा सलंग्न और शेष भूमि 8 मीन रकबा 26 बीघा 16 बिस्वा में से नामान्तरण संख्या 634 दिनांक 29.12.2001 से साबिक आराजी नं0 530/8 रकबा 5 बीघा बिलानाम आबादी से दर्ज हुई है जिसके नामान्तरण पर तरमीम नक्शा नहीं है और शेष भूमि आराजी नं0 8 मीन रकबा 21 बीघा 16 बिस्वा बची हुई है जो नामान्तरण संख्या 814 दिनांक 02.01.2009 से राजकीय बिलानाम भूमि सेट अपार्ट चारागाह में दर्ज होने के आदेशानुसार 8 मीन रकबा 21–16 बीघा में से साबिक आराजी नं0 555/8 रकबा 18 बीघा चारागाह में दर्ज हुई और शेष 8 मीन रकबा 3–16 बीघा राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज हुई।

5. तहसीलदार निम्बाहेडा द्वारा उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रस्तुत मौका पर्चा जो प्र0शासन गांव के संग अभियान 2023 केम्प कोर्ट जावदा दिनांक 08.06.2023 को प्रस्तुत मौका पर्चा रिपोर्ट जिसमें उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में गांव के मजमेआम में चर्चा की गई एवं ग्रामीण जन के साथ मौका निरीक्षण किया गया। उक्त मौके पर्चा में उन्होने बताया की ग्राम धीनवा की आराजी नम्बर 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि में दिनांक 18.12.1991 को आराजी नम्बर 8/523 रकबा 5 बीघा आबादी दर्ज हुई जिसका नामान्तरण पर तरमीम नक्शा संलग्न है।उसके बाद ना0 संख्या 634 से 29.12.2001 को आराजी नम्बर 530/8 रकबा 5 बीघा बिलानाम आबादी दर्ज हुई। वर्तमान राजस्व नक्शे में उक्त दोनो आबादी भूमि कुल 10 बीघा को राजस्व नक्शा में गलत रूप से दर्शाया गया है। वर्तमान राजस्व नक्शे को मौके पर बसी हुई आबादी और उक्त आबादी भूमि में सुरेश कुमार वगैराह के आवासीय भूखण्ड जो कि 18.06.1991 को ग्राम पंचायत की खुली निलामी से बोली द्वारा खरीद कर पंजीकृत शुदा को आबादी भूमि में संशोधित तरमीम नक्शा एवं राजस्व रेकार्ड में आवाश्यक संशोधन हेतु मौके पर उपस्थित ग्रामवासियो एवं ग्राम पंचायत जावदा को कोई आपत्ति नहीं है। एवं गांव के नागरिको द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए।

6. हमने धारा 136 भू– राजस्व अधिनियम 1956 अध्ययन किया उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः–

> ***136. Correction of errors.*** *- The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the maps or registers, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register.*
>
> *Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties.*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

7. तहसीलदार निम्बाहेडा की रिपोर्ट अनुसार गत भू प्रबन्ध का साबिक रेकार्ड व राजस्व नक्शा का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गत साबिक नम्बर के अनुसार वर्तमान राजस्व नक्शो में तरमीम नहीं है।तहसील अभिलेखाकार में उपलब्ध राजस्व नक्शे मे किसी प्रकार की तरमीम पुख्ता दर्ज नहीं कि गई है। उपलब्ध साबिक रेकार्ड व नामान्तरण संख्या 814 पर चस्पा तरमीम नक्शा को पुख्ता आधार मानकर साबिक आराजी नम्बर 8 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा को दो भागो में विभाजित किया गया जिससे उत्तरी भाग चारागाह 555/8 रकबा 18 बीघा चारागाह भूमि एक चक के रूप में तहसील प्रकरण में इस तरमीम नक्शे में आराजी नं0 555/8 रकबा 18 बीघा चारागाह भूमि एकचक होकर उत्तरी भाग में दर्शायी गई है शेष बिलानाम भूमि 3.16 बीघा दक्षिण दिशा में सडक से लगती हुई दर्शायी गई है। अतः उपलब्ध साबिक रिपोर्ट नामान्तरण संख्या 814 दिनांक 02.01.2009 पृर संलग्न चस्पा तरमीम नक्शे को पुख्ता आधार मानकर वर्तमान राजस्व नक्शे में आराजी नं० 38 रकबा 1.26 हैक्टेयर गे.मु. आवादी का उत्तरी भाग प्रभावित होकर चारागाह हिस्से में आता है। लेकिन वर्तमान में मौके पर बसी हुई आवादी जो कि आराजी नं0 38 के उत्तरी भाग में आती है इसको वर्तमान संशोधित प्रस्तावित नक्शे में केवल उत्तरी पश्चिमी भाग की चारागाह में प्रस्तावित किया जाना है और इसी प्रकार आराजी नं0 38 के दक्षिणी पश्चिमी भाग राजकीय बिलानाम भूमि में प्रस्तावित किया जाता है और आराजी न. 647/40 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि चारागाह के रूप में दक्षिण दिशा में सडक के पास स्थित है इसको वर्तमान संशोधित प्रस्तावित में इसी जगह पर रखा जाना है और राजकीय बिलानाम भूमि आराजी नं० 40 रकबा 0.96 हैक्टेयर का वर्तमान राजस्व नक्शे का पश्चिमी भाग संशोधित प्रस्तावित नक्शे में गै.मु. आबादी दर्ज किया जाना है। अतः नामान्तरण संख्या 814 के साथ सलंग्न तरमीम नक्शा व साबिक राजस्व नक्शा में कोई तरमीम पुख्ता नहीं होने की दशा में केवल नामान्तरण संख्या 814 के संलग्न तरमीम नक्शा अनुसार व वर्तमान में आराजी नं0 38 के उत्तरी भाग में मौके पर बसी हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए आराजी नं0 40 राजकीय बिलानाम का पश्चिमी भाग को गै मु. आबादी का हिस्से मानते हुए वर्तमान राजस्व नक्शे में संशोधित प्रस्तावित तरमीम के उत्तरी भाग में चारागाह भूमि आराजी नं0 37 व 38 का उत्तरी पश्चिमी भाग सम्मिलित किया जाने से शेष भूमि आराजी नं0 38 की मौके पर बसी हुई आबादी होने से गै.मु. आबादी ही रखी गई और आराजी नं 38 का दक्षिणी पश्चिमी भाग सडक से लगती हुई राजकीय बिलानाम भूमि दर्ज किए जाने एवं आराजी नं. 647/40 रकबा 0.37 हैक्टेयर भूमि चारागाह के भाग में रखी जाने व आराजी नं0 40 रकबा 0.96 राजकीय बिलानाम भूमि का संशोधित प्रस्तावित नक्शे अनुसार पश्चिमी भाग गै.मु. आबादी में सम्मिलित किए जाने का मौके पर बसी हुई आबादी व प्रार्थी श्री सुरेश कुमार जैन वगेरा की निलामी शुदा आवासीय भूखण्ड भी सम्मिलित हो जाते हैं जो कि 18.06.1991 को ग्राम पंचायत जावदा की खुली निलामी में बोली से खरीदकर पंजीकृतशुदा है। पुराने नम्बर में पुख्ता तरमीम नहीं होने के कारण वर्तमान मौके की स्थिति साबिक नम्बर अनुसार तहसीलदार द्वारा प्राप्त संशोधित प्रस्तावित प्रविष्टि अनुसार तरमीम किया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार निम्बाहेडा ने निम्नानुसार संशोधन प्रस्तावित किया है।

वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रविष्टि				संशोधित प्रस्तावित प्रविष्टि		
क्र0स0	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	आराजी	रकबा	नाम खातेदार
1	37	4.18 हैक्टेयर	महफूज चरागाह	37 में से उत्तरी भाग	3.95 है0	महफूज चरागाह
				37 में से दक्षिण भाग	0.23 है0	बिलानाम गै.मु आबादी
	योग	4.18 हैक्टेयर		किता 2	4.18 है0	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

2	38	1.26 हैक्टेयर	बिलानाम गै.मु. आबादी	38 में से उत्तरी पश्चिम भाग	0.23 है0	महफूज चरागाह
				38 में से दक्षिण पश्चिम भाग	0.27 है0	राजकीय बिलानाम भूमि
				38 का शेष पूर्वी मध्य भाग	0.76 है0	बिलानाम गै.मु. आबादी(यथावत)
	कुल योग	1.26 हैक्टेयर		किता 3	1.26 है0	
3	40	0.96 हैक्टैयर	राजकीय बिलानाम भूमि	40 में से पश्चिम भाग	0.27 है0	बिलानाम गे.मु आबादी
				40 में से शेष पूर्वी भाग	0.69 है0	राजकीय बिलानाम भूमि
	कुल योग	0.96 हैक्टैयर		किता 2	0.96 है0	

6. इस प्रकार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत प्रार्थना–पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरूस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजन करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–136 के तहत आवश्यक होने पर दुरूस्त किया जा सकता है।

<u>आदेश है कि</u>

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 पूर्व रिकार्ड से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है। ग्राम धीनवा का आराजी नम्बर 37 रकबा 4.18 हैक्टेयर चारागाह मे से उत्तरी दिशा का रकबा 3.95 हैक्टेयर भूमि चारागाह एवं दक्षिण में स्थित शेष रकबा 0.23 हैक्टेयर भूमि बिलानाम गै.मु. आबादी, आराजी नम्बर 38 रकबा 1.26 हैक्टेयर बिलानाम गे.मु आबादी मे से उत्तरी पश्चिमी भाग का रकबा 0.23 हैक्टेयर महफूज चारागाह, दक्षिण पश्चिमी भाग का रकबा 0.27 हैक्टेयर राजकीय बिलानाम एवं शेष पूर्वी मध्य भाग का रकबा 0.76 हैक्टेयर भूमि बिलानाम गे.मु. आबादी तथा आराजी नम्बर 40 रकबा 0.96 हैक्टेयर मे से पूर्वी भाग का रकबा 0.69 हैक्टेयर राजकीय बिलानाम भूमि एवं शेष पश्चिमी भाग का रकबा 0.27 हैक्टेयर बिलानाम गे.मु. आबादी दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु लिखा जावे। नक्शा ट्रैस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सुरेश बनाम राजस्थान सरकार

42/2023

निर्णय दिनांक :20.06.2023

वर्तमान राजस्व रेकार्ड प्रविष्टि			संशोधित प्रस्तावित प्रविष्टि			
क्र०सं०	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार	आराजी नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
1	37	4.18 हैक्टेयर	महफूज चरागाह	37 में से उत्तरी भाग	3.95 है०	महफूज चरागाह
				37 में से दक्षिण भाग	0.23 है०	बिलानाम गै.मु आबादी
	योग	4.18 हैक्टेयर		किता 2	4.18 है०	
2	38	1.26 हैक्टेयर	बिलानाम गै.मु आबादी	38 में से उत्तरी पश्चिम भाग	0.23 है०	महफूज चरागाह
				38 में से दक्षिण पश्चिम भाग	0.27 है०	राजकीय बिलानाम भूमि
				38 का शेष पूर्वी मध्य भाग	0.76 है०	बिलानाम गै.मु आबादी(यथावत)
	कुल योग	1.26 हैक्टेयर		किता 3	1.26 है०	
3	40	0.96 हैक्टैयर	राजकीय बिलानाम भूमि	40 में से पश्चिम भाग	0.27 है०	बिलानाम गै.मु आबादी
				40 में से शेष पूर्वी भाग	0.69 है०	राजकीय बिलानाम भूमि
	कुल योग	0.96 हैक्टैयर		किता 2	0.96 है०	

निर्णय आज दिनांक 20.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

20/6/23

(रमेश सीरवी पुनाडियॉ)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:08:43 IST
Reason: SelfAttested